# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

**CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvnl@gmail.com | GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**


पत्रांक : /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक /03/2020

## कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा निगम अधीनस्थ इकाईयों के द्वारा निगम मुख्यालय पर भेजी जा रही जी0एस0टी0 की मासिक विवरणी एवं उनके मासिक लेखों के साथ मिलान/समाधान करने में उत्पन्न समस्याओं के दृष्टिगत एवं जी0एस0टी0 ऑडिट में सुगमता प्रदान करने हेतु निगमहित में निम्न व्यवस्था आदेशित की जाती है:–

### 1. मासिक लेखों को जी0एस0टी0 की मासिक विवरणी से मिलान/समाधान होने पर ही स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में:–

1. इकाईयों द्वारा निगम मुख्यालय पर भेजी जाने वाली जी0एस0टी0 की मासिक विवरणी में **"Description"** कॉलम में वर्तमान में भरे जा रहे विवरण के स्थान पर उप–लेखाशीर्ष अंकित किये जाये अर्थात् प्राप्त हुई धनराशि **(Taxable Value)** को जिस उप–लेखाशीर्ष में क्रेडिट किया गया हो वही उप–लेखाशीर्ष **"Description"** कॉलम में अंकित किया जाये। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर **"GSTR-1 & 3B Module"** में आवश्यक परिवर्तन कराते हुए **"Description"** हेतु वर्तमान में लागू दिशा–निर्देशों के तारतम्य में कर–योग्य आय/प्राप्ति सम्बन्धी उप–लेखाशीर्ष की सूची **(संलग्न)** वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।
2. जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक माह जी0एस0टी0 रिटर्न्स दाखिल करने के पश्चात्, सभी इकाईयों द्वारा भेजी गयी जी0एस0टी0 की मासिक विवरणी की संकलित एक्सेल फाइल (Consolidated Excel File) तथा इकाई द्वारा जमा कराये गये जी0एस0टी0 चालानों का संकलित विवरण, ई–मेल के माध्यम से परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को प्रेषित किये जाये।
3. परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा इकाईयों के मासिक लेखों में समस्त कर–योग्य आय/प्राप्ति सम्बन्धी उप–लेखाशीर्ष के सापेक्ष लेखांकित धनराशि व जी0एस0टी0 की देयता/इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी लेखाशीर्ष (46.94101/102/103, 46.94201/202/203, 46.94301/302/303) में लेखांकित धनराशि का **मिलान/समाधान, जी0एस0टी0 की मासिक विवरणी से होने पर ही मासिक लेखें स्वीकार किये जायें।**
4. मासिक लेखों एवं मुख्यालय प्रेषित की गयी जी0एस0टी0 विवरणी में आ रहे अन्तर के कारण उत्पन्न जी0एस0टी0/ब्याज/दण्ड की देयता एवं अभियोजन के लिये सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

### 2. मासिक लेखों में जी0एस0टी0 सम्बन्धी लेखाशीर्षों में देयता यथा सम्भव शून्य किये जाने के सम्बन्ध में:–

प्रत्येक माह मासिक लेखों में कर–देयता सम्बन्धी लेखाशीर्ष (यथा 46.94101/102/103, 46.94201/202/203, 46.94401/402/403 एवं 46.924 इत्यादि के सापेक्ष जी0एस0टी0/टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0/आयकर)) की देयता **शून्य** किये जाने हेतु, देयता का भुगतान करने के लिये चैक इकाई द्वारा ***यथा सम्भव*** उसी माह के अन्तिम दिन काटे जायें एवं जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ से प्राप्त चालान का मिलान कर, चैक को चालान के साथ बैंक में जमा कराया जाये।

### 3. नये लेखाशीर्ष आवंटित किये जाने एवं सम्बन्धित सही लेखाशीर्ष में लेखांकन करने के सम्बन्ध में:–

1. लेखाशीर्ष समूह *47.4 Deposits for Other Electricfication Works* के अन्तर्गत उप–लेखाशीर्षों में जी0एस0टी0 में कर–योग्य *(Taxable)* एवं कर–मुक्त *(Exempted)* दोनों ही प्रकार के डिपोजिट कार्यों का लेखांकन किया जा रहा है, अतः मासिक लेखों एवं जी0एस0टी0 विवरणी के मिलान/समाधान में सुगमता प्रदान करने हेतु, ऐसे डिपोजिट कार्य जोकि जी0एस0टी0 से कर मुक्त *(Exempted from GST)* हैं, के लिये नया लेखाशीर्ष समूह एवं उसके अन्तर्गत उप–लेखाशीर्ष निम्नवत् आवंटित किया जाता है:–

| लेखाशीर्ष समूह | उप–लेखाशीर्ष | विवरण |
|---|---|---|
| 47.5 Deposits for Other Electricfication Works (Exempted from GST) | | |
| | 47.501 | Tubewell (Agriculturalist/Farmer)* |

**(उदाहरणास्वरूप, जैसे वर्तमान में "Services supplied by electricity distribution utilities by way construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agriculture use" अर्थात किसानों के Tube-Well के डिपोजिट कार्य हेतु)*

*इस प्रकार लेखाशीर्ष समूह 47.4 Deposits for Other Electricfication Works के अन्तर्गत उप–लेखाशीर्षों में जी0एस0टी0 में कर–योग्य (Taxable) प्राप्तियों का ही लेखांकन किया जायें।*

अग्रेतर ऐसे उपभोक्ता जिनका डिपोजिट कार्य **उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0** द्वारा किया गया/जाना है, के सम्बन्ध में पुनः अनुस्मारित कराया जाता है कि उन उपभोक्ताओं को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 से प्राक्कलन (एस्टीमेट) दिलवाते हुए सम्बन्धित धनराशि उपभोक्ता के माध्यम से ही सीधे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पक्ष में ही निर्गत कराना सुनिश्चित करें व उपभोक्ता द्वारा आयकर टी0डी0एस0 की कटौती ट्रांसमिशन के **PAN AAACU8823E** पर ही की जाये, तथा ट्रान्समिशन सम्बन्धी धनराशि को निगम के बैंक खाते में जमा ना कराया जायें और ना ही लेखांकित किया जायें। अन्यथा की स्थिति में निगम को होने वाली हानि के लिये सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

**केवल द0वि0वि0नि0लि के प्राक्कलन (अर्थात जो कार्य डिस्कॉम द्वारा किये जाते हैं) से सम्बन्धित धनराशि ही उपभोक्ता से निगम के सम्बन्धित बैंक खाते में प्राप्त की जाये, निगम से सम्बन्धित धनराशि पर ही उपभोक्ता द्वारा आयकर टी0डी0एस0 की कटौती निगम के PAN AACCD0695D पर की जाये, तथा लेखाशीर्ष 47/48/55 के सम्बन्धित उप–लेखाशीर्षों में व 46.94101/102/103 में लेखांकित (क्रेडिट) की जाये एवं जी0एस0टी0 टैक्स इनवॉइस जारी कर, जी0एस0टी0 सम्बन्धी अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण की जायें।**




Scanned with CamScanner

# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

**CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvnl@gmail.com | GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**


2. अन्य विविध प्रकार की प्राप्त की जा रही आय जोकि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर–योग्य है, में स्पष्टता लाने हेतु एवं मासिक लेखों व जी0एस0टी0 विवरणी के मिलान/समाधान में सुगमता प्रदान करने हेतु लेखाशीर्ष समूह *61.4 Meter Rent/Service Line Rental* के अन्तर्गत *Pole Rent* के सम्बन्ध में निम्नवत् लेखाशीर्ष आवंटित किया जाता है एवं अग्रिम आदेशों तक उप–लेखाशीर्ष 62.369 *Balance Misc. Receipts* को प्रयोग में न लाया जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्य आय यथा *Inspection Fees* एवं *Futile Visit Charges* हेतु निम्न विनिर्दिष्ट लेखाशीर्ष आवंटित किये जाते है :–

| उप–लेखाशीर्ष | विवरण |
|---|---|
| 61.403 | Pole Rent |
| 62.3691 | Inspection Fees |
| 62.3692 | Futile Visit Charges |

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की आय जिनके लिये उप–लेखाशीर्ष 62.369 प्रयोग में लाया जा रहा है, के स्थान पर नये विनिर्दिष्ट उप–लेखाशीर्ष आवंटित कराने अथवा जी0एस0टी0 में कर–योग्य अन्य आय जिनके लिये उप–लेखाशीर्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही हो, के लिये उप महाप्रबन्धक (वि0ले0स)/लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) से सम्पर्क किया जा सकता है।

3. कतिपय इकाईयों द्वारा उपभोक्ता/फर्म से जी0एस0टी0 के सापेक्ष प्राप्त हो रही धनराशि का लेखांकन भी, प्राप्त की जा रही आय के उप–लेखाशीर्ष में ही क्रेडिट कर लिया जाता है परिणामस्वरूप सम्बन्धित आय अधिक धनराशि से लेखांकित हो जाती है, इस गलत लेखांकन के कारण सम्प्रेक्षा में अनावश्यक रूप से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि जी0एस0टी0 के सापेक्ष प्राप्त हो रही धनराशि का लेखांकन लेखाशीर्ष 46.94101/102/103 में किया जाना चाहिए।

अतः पुनः अनुस्मारित कराया जाता है कि उपभोक्ता/फर्म से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष, सम्बन्धित आय/प्राप्ति के सम्बन्धित उप–लेखाशीर्ष को केवल *Taxable Value* की राशि से ही क्रेडिट किया जाये एवं प्राप्त हुई *SGST, CGST & IGST* की राशि को क्रमशः लेखाशीर्ष 46.94101, 46.94102 व 46.9103 में क्रेडिट किया जाये ना कि आय सम्बन्धी उप–लेखाशीर्ष में।

*(उदाहरणास्वरूप, लोड घटाने हेतु कुल रू0 1180 की प्राप्ति हुई जिसमें रू 1000 लोड घटाने सम्बन्धी आय को लेखाशीर्ष 61.505 में क्रेडिट किया जाये एवं SGST रू0 90 व CGST रू0 90 को क्रमशः लेखाशीर्ष 46.94101 व 46.9102 में क्रेडिट किया जाये।)*

4. **एक उप–लेखाशीर्ष (क्रेडिट)** के सापेक्ष एक ही टैक्स इनवॉइस निर्गत किया जायें अर्थात ***AG SubCode-Wise (Credit)*** अलग–अलग टैक्स इनवॉइस निर्गत किये जायें।

**उक्त आदेशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित रखें।**

***संलग्नक : यथोपरि।***

**(आई0एम0 कौशल)**
**महाप्रबन्धक (वित्त)**

**पत्रांक 283 /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/ जी0एस0टी0/दिनांक 30/03/2020**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप महाप्रबन्धक (कॉरपोरेट लेखा/कॉरपोरेट टैक्स), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
6. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
8. उपविधि अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

***संलग्नक : यथोपरि।***

**(दिनेश रस्तोगी)**
**उप महाप्रबन्धक (वि0ले0सं0)**



Scanned with CamScanner

| AG Group | AG Description | AG Code | AG Codes | Short Name for 'Description' Column in GSTR1 & 3B Module | Taxable/ Exempted | Remarks/Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | Deposit For Electrification Of Village | 47.101 | Deposit for Electrification of Village | 47.101 Electrification of Village | Taxable | UPPCL Guidelines No. 08 Dated 23.02.2018 |
| 47.4 | Deposit Of Other Electrification Works | 47.401 | State Tubewell (Irrigation Deptt.) | 47.401 State Tubewell | Taxable | DVVNL Guidelines: Letter No. 6145 Dated 28.03.2018, Letter No. 6201 Dated 13.04.2018, Letter No. 6316 Dated 04.05.2018, Letter No. 6464 Dated 29.05.2018, Letter No. 6675 Dated 05.07.2018, Letter No. 6787 Dated 27.07.2018 |
| | | 47.402 | State Pumpcanal (Irrigation Deptt.) | 47.402 State Pumpcanal | Taxable | |
| | | 47.403 | World Bank Tubewell (Irrigation Deptt.) | 47.403 World Bank Tubewell | Taxable | |
| | | 47.404 | Other Deposit Work (Irrigation Deptt.) | 47.404 Other Deposit Work | Taxable | |
| | | 47.405 | Nalkoop Nigam | 47.405 Nalkoop Nigam | Taxable | |
| | | 47.406 | Local Bodies | 47.406 Local Bodies | Taxable | |
| | | 47.407 | Jal Sansthan | 47.407 Jal Sansthan | Taxable | |
| | | 47.408 | Avas Vikas Parishad | 47.408 Avas Vikas Parishad | Taxable | |
| | | 47.409 | Defence | 47.409 Defence | Taxable | |
| | | 47.410 | Railway Traction | 47.410 Railway Traction | Taxable | |
| | | 47.411 | Others | 47.411 Others | Taxable | |
| | | 47.417 | Deposit For Service Connection 11KV and Above | 47.417 Service Connection 11KV/above | Taxable | |
| 47.5 | Deposit Of Other Electrification Works (Exempted from GST) | 47.501 | Tubewell (Agriculturist/Farmer) | Exempted | Exempted | |
| | | | | | | |
| 47.6 | Other Deposit From Consumers | 47.601 | Deposit Received against Burnt Meter | 47.601 Burnt Meter | Taxable | |
| | | 47.602 | Deposit For Temporary Connection | 47.602 Temporary Connection | Taxable | |
| | | | | | | |
| 55.1 | Consumer's Contribution Towards Cost Of Capital Assets | 55.101 | Consumer Contribution For Service Connection | 55.101 Service Connection | Taxable | |
| | | 55.102 | Contribution For Deposit Work | 55.102 Contibution For Deposit Work | Transfer Entry from AG 47 | |
| | | 55.103 | Other Capital Receipts | 55.103 Other Capital Receipts | Taxable | |
| | | 55.104 | System Loading Charges | 55.104 System Loading Charges | Taxable | |
| | | 55.105 | Priority Charges | 55.105 Priority Charges | Taxable | |
| | | | | | | |
| 61.4 | Meter Rent/Service Rental | 61.401 | Meter Rent | 61.401 Meter Rent | Taxable | UPPCL Guidelines No. 09 Dated 23.02.2018 DVVNL Guidelines 6145 Dated 28.03.2018 |
| | | 61.402 | Line Rent | 61.402 Line Rent | Taxable | |
| | | 61.403 | Pole Rent | 61.403 Pole Rent | Taxable | |
| 61.5 | Misc. Charges from Consumers | 61.501 | Fuse Charges | 61.501 Fuse Charges | Taxable | |
| | | 61.502 | Reconnection Fees/ Disconnection Fees | 61.502 RO/DO Fees | Taxable | |
| | | 61.503 | Public Lighting Maintenance Charges | 61.503 Public Lighting Maint Charges | Taxable | |
| | | 61.504 | Services Charges | 61.504 Services Charges | Taxable | |
| | | 61.505 | Load Reduction Charges | 61.505 Load Reduction | Taxable | |
| | | 61.506 | Meter Box Charges | 61.506 Meter Box Charges | Taxable | |
| | | 61.507 | Other Recoveries from Consumers | 61.507 Other Recoveries | Taxable | |
| 62.2 | Income From Loans, Advances And Investments, Etc. | 62.210 | House Building Advance | Exempted | Exempted | Interest on Loans/Advances/Deposits is Exempted under GST |
| | | 62.211 | Scooter/Motor Cycle Advance | Exempted | Exempted | |
| | | 62.212 | Car Advance | Exempted | Exempted | |
| | | 62.213 | Cycle Advance | Exempted | Exempted | |
| | | 62.220 | Bonds/Debetures | Exempted | Exempted | |
| | | 62.221 | Govt. Securities | Exempted | Exempted | |
| | | 62.223 | Fixed Deposits | Exempted | Exempted | |
| | | 62.230 | Other | Exempted | Exempted | |
| | | 62.240 | Interest On Loans & Advances To Licensees | Exempted | Exempted | |
| | | 62.250 | Delayed Payment Charges From Consumer | Exempted | Exempted | |
| | | 62.260 | Interest On Advance To Contractors/ Suppliers | Exempted | Exempted | |
| | | 62.270 | Interest Given By Bank | Exempted | Exempted | |
| | | 62.271 | Interest From Bank For Delayed Remittance of Funds By Banks | Exempted | Exempted | |
| 62.3 | Incomes From Tranding | 62.340 | Sale Of Scrap | 62.340 Sale of Scrap | Taxable | UPPCL Guidelines No. 01 Dt 10.07.2017, 08 dated 23.02.2020 DVVNL Guidelines 5023 Dt 11.08.2017, 6145 Dt 28.03.2018 630 Dated 05.07.2019 |
| | | 62.361 | Sale of Tender From | 62.361 Sale of Tender Form | Taxable | |
| | | 62.362 | Registration Fee | 62.362 Registration Fee | Taxable | |
| | | 62.365 | Forfeited EMD/Security Money | 62.365 Forfeited EMD/Security | Taxable | |
| | | 62.3691 | Inspection Fees | 62.3691 Inspection Fees | Taxable | |
| | | 62.3692 | Futile Visit Charges | 62.3692 Futile Visit Charges | Taxable | |
| 62.6 | Income/Fees/ Collections Against Staff Welfare Activities | 62.630 | Recovery For Transport Facilities | 62.630 Tansport Recovery | Taxable | UPPCL Guidelines No. 19 Dated 13.03.2020, DVVNL Guidelines 281 Dt 30.03.2020 |
| | | 62.640 | Income From Inspection/Guest Houses | Exempted | Exempted | |
| 62.9 | Miscellaneous Receipts | 62.901 | Rental From Staff | Exempted | Exempted | |
| | | 62.905 | Excess Found On Physical Verification Of Assets | Exempted | Exempted | Merely Accounting Adjustment, Therefore, NOT Covered under GST |
| | | 62.906 | Excess Found On Physical Varification Of Stores | Exempted | Exempted | |
| | | 62.917 | Penalties For Delay In Supply/Execution of Work | 62.917 Penalties for Delay | Taxable | UPPCL Guidelines No. 08 Dated 23.02.2018, DVVNL Letter No. 6145 Dated 28.03.2018 |
| | | 62.919 | Receipt of Fees under RTI Act 2005 | Exempted | Exempted | |

**Note: This List is prepared on the Basis of AG Code Apprearing in MTB of Earlier FY, In case of any Doubt/Clarification, Kindly Contact GST Cell, MD Office, Agra**